ल नंबर मय उपखण्ड 2/25/2022 कठूमर जिला अलवर

अधिवक्ता .... तारीख रजू..........

पप्पूसिंह वगैरा बनाम रत्तीराम वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
29.08.2022	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के,पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं. 145, 146, 77, ,वाके ग्राम बूलाहेडी तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में मौके की यथास्थिति बनाये रखें।चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थी में सें किसी के उपस्थित होकर वहस के लिऐ कहने पर वकील प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें। अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 06.10.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये नोटिस रजि0 डाक से तलब होकर पत्रावली दिनांक 06.10.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
6/10/22	वकुलाय उपस्थित। अप्रार्थीगण की ओर से श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी एड० ने वकालतनामा मय जवाब प्रस्तुत किया। श्रा० प्रि० किया। पत्रावली वास्ते बहस T.I. दिनांक 11/11/22 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
11/11/22	पक्षकारान .... अनुपस्थित। सम्बंधित आदेश दिनांक ......6.10.22...... की पालना में पत्र भी वास्ते ...BEH TI... दिनांक ......18/11/22...... को पत्र प्रार्थना की अवधि नियत तिथि तक बढ़ाई जाती है। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
18/11/22	वकलाए उपस्थित। वकील वादी ने मूल वाद को No Instruction में खारिज करा लिया है अतः आवेदन पत्र चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रार्थना पत्र ~~[illegible]~~ खारिज किया जाता है। पत्रावली में मय हुक्म [illegible] बाद तकमील मूल वाद के साथ शामिल रहे। हुक्म उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०